THE EAST PUNJAB WAR AWARDS ACT, 1948.

TABLE OF CONTENTS

Sections.

1. Short title and commencement.

2. Definitions.

3. Creation of war jagirs.

4. Tenure of war jagirs

5. Power to attach conditions to enjoyment of war jagir.

6. Assessment and collection of assigned land revenue.

7. Exemption of war jagir from attachment.

8. Savings.

9. Certain question to be referred to Government for final decision.

[1]THE EAST PUNJAB WAR AWARDS ACT, 1948.

East Punjab Act No. 22 of 1948.

[*Received the assent of His Excellency the Governor on the 10th April*, 1948, *and was first published in the* East Punjab Government Gazette (*Extraordinary*), *of April* 10, 1948.]

1	2	3	4
Year	No.	Short title	Whether repealed or otherwise affected by legislation
1948 ...	22	The East Punjab War Awards Act 1948	Amended in part by the Adaptation of Laws Order, 1950 Amended in part by the Adaptation of Laws (Third Amendment) Order, 1951 Amended in part by Punjab Act No. 22 of 1952[2] Amended by Punjab Act 38 of 1954[3] Extended to the territories which immediately before the 1st November, 1956 were comprised in the State of Patiala and East Punjab States Union by Punjab Act 23 of 1957[4] Amended by Punjab Act 17 of 1959[5] Amended by Punjab Act 36 of 1960[6]

[1]For Statement of Objects and Reasons, *see East Punjab Government Gazette* (Extraordinary), dated the 15th March, 1948, page 227; for proceedings in the Assembly, *see* East Punjab Legislative Assembly Debates, Volume II 1948, pages 843-871.

[2]For Statement of Objects and Reasons *see Punjab Government Gazette* (Extraordinary), dated the 16th October, 1952, page 1154 (b); for proceedings in the Council, *see* Punjab Legislative Council Debates, 1952. Volume III, pages (2) 23—(2) 29. This Act shall be deemed to have come into force on the 10th day of April, 1948.

[3]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1954, page 838.

[4]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1957, page 689.

[5]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1959, page 284.

[6]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1960, page 1960.

1	2	3	4
Year	No.	Short title	Whether repealed or otherwise affected by legislation
1948...	22	The East Punjab war Awards Act, 1948	Amended by Punjab Act 26 of 1964[1] Amended by Punjab Act 22 of 1965[2] Amended by Haryana Adaptation of Laws (State and Concurrent Subjects) Order, 1968.[3] Amended by Haryana Act 10 of 1969.[4] Amended by Haryana Act 31 of 1969.[5] Amended by Haryana Act 23 of 1970.[6]

An Act to empower the [7][Haryana] Government to award Jagirs to parents, three or more of whose children were enrolled or commissioned for service in His Majesty's Forces during the recent Second World War.

It is hereby enacted as follows :—

1. (*1*) This Act may be called the East Punjab War Awards Act, 1948. Short title and commencement.

(*2*) It shall come into force at once [8][in the principal territories and on the 28th August, 1949, in the transferred territories.]

[1]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1964, page 890.

[2]For Statement of Objects and Reasons, *see Punjab Government Gazette* (Extra) 1965, page 1116.

[3]See Haryana Goverment Gazette (Extra) dated 29th October, 1968, pages 531-567.

[4]For Statement of Objects and Reasons, See Haryana Government Gazette (Extra) 1969, page 120.

[5]For Statement of Objects and Reasons, See Haryana Government Gazette (Extra) 1969, page 490.

[6]For Statement of Objects and Reasons See Haryana Government Gazette (Extra) 1970, page 596.

[7]Substituted for the word "Punjab" by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968.

[8]Substituted by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968 for the words "and in its application to the territories which, immediately before 1st November, 1956 were comprised in the State of Patiala and East Punjab States Union, it shall be deemed to have come into force on the 28th August, 1949."

Definitions.

2. In this Act, unless there be anything repugnant in the subject or context,—

[1][(*a*) 'eligble person' means--

(*i*) a citizen of India ordinarily residing in the State of [2][Haryana] who is the father, or, where the father is dead, the mother, of three or more persons who are serving or have served in the armed forces of the Union during the emergency declared by the President of India under Article 352 of the Constitution of India on the 26th October, 1962, but does not include a person who has for such reason already received a land grant or other award from Government ; or

[3][(*ia*) a citizen of India ordinarily residing in the State of [2][Haryana] who is the father, or, where the father is dead, the mother, of the only son serving or [4][who has served or of only two sons serving or who have served] in the armed forces of the Union during the emergency declared by the President of India under Article 352 of the Constitution of India on the 26th October, 1962, but does not include a person who has for such reason already received a land grant or other award from Government ; or]

(ii) a person who is now a citizen of India and who

(*a*) immediately before the fifteenth day of August, 1947, ordinarily resided in the undivided Punjnb, or

(*b*) immediately before the 20th August, 1948, ordinarily resided in the territories which on that date formed the State of Patiala and East Punjab States Union,

---

[1]Substituted for clause (a), which was previously substituted by Punjab Act 36 of 1960, by Punjab Act 26 of 1964.

[2]Substituted for the word "Punjab". by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968,

[3]Sub-clause (*ia*) inserted by Punjab Act 22 of 1965.

[4]Substituted for the words "who has served" by Haryana Act 10 of 1969.

and who is the father, or where the father is dead, the mother of three or more persons who having been at any time enrolled or commissioned in forces then referred to as His Majesty's Naval, Military or Air Forces or in the forces maintained by any of the Indian States comprised in the aforesaid territories and who were liable to serve wherever required and have actually served in any of the said forces during the Second World War, but not include any person who has for such reason already received a land grant or other award from the Government of the undivided Punjab or the Government of the territories formed as aforesaid or of any Indian State comprised in such territories or the [1][Haryana] Government.

(b) "Government" means the [2][State] Government of [1][Haryana];

(c) "War Jagir" means a jagir granted under this Act;

(d) expressions used but not defined in this Act have the same meanings as in the Punjab Jagirs Act, 1941.

Creation of war jagirs.

3. [3][(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government shall have power to grant to every eligible person a war jagir of the value specified hereunder, namely—

(*a*) for three children of the grantee so serving or so enrolled or commissioned, a grant of [4][one hundred and fifty rupees] per annum; and

(*b*) for every additional child,—

(*i*) so serving or served, of the eligible person referred to in sub-clause (i) of clause (a) of section 2, an additional grant of [5][fifty] rupees per annum; and

(ii) so enrolled or commissioned, of the eligible person referred to in sub-clause (ii) of clause (a) of section 2, an additional grant of ten rupees per annum:

[1]Substituted for the word "Punjab" by the Haryana Adaptation of Laws Order, 1968.

[2]Substituted for the word "Provincial" by the Adaptation of Laws Order, 1950.

[3]Substituted for old Section 3 by Punjab Act 26 of 1964.

[4]Substituted for the words "One hundred rupees" by Haryana Act 23 of 1970.

[5]Substituted for the word by "forty" by *ibid.*

Provided that for the purposes of determining the eligibility of a person to the grant of a war jagir under sub-clause (i) of clause (a) of section 2, no child of such person, who has already made him eligible to the grant of a war jagir under sub-clause (ii) of that clause shall be taken into account.]

[1][(1*A*) Notwithstanding anything contained in sub-section (i) or in any other law for the time being in force, the Government shall have the power to grant a war jagir of [2][one hundred and fifty rupees] per annum to every eligible person referred to in sub clause (*ia*) of clause (*a*) of section [3][for the only son or only two sons] of the grantee so serving or served".

(2) 'A' war jagir shall provide far an assignment of the appropriate sum, or for the grant of such sum payable annually, charged on the whole or part of the land revenue arising from a specified area [4][and shall be subject in either case to such deduction on account of collection of land revenue as the Government may direct, not with-standing that the land revenue for the specified area is suspended or remitted.]

Tenure of war jagirs

[5][4. war jagir shall, unless terminated wholly or partially for breach of any condition imposed under section 5, be tenable for the life-time of the grantee, but Government shall have power to terminate or reduce it if the grantee subsequently receives a land grant or other award on the same ground on which the war jagir was granted to him :

Provided that a war jagir granted to an eligible person, being the father, shall, on the death of the father, be tenable for the life-time of the mother.]

Power to attach condition to enjoyment of war jagirs.

5. The Government may attach such conditions as it may deem fit to the enjoyment of any or all war jagirs, and such conditions shall be communicated to the grantee at the time when the grant is made to him.

---

[1]Sub-section (1A) added by Punjab Act 22 of 1965.

[2]Substituted for the words "One hundred rupees" by Haryana Act 23 of 1970.

[3]Substituted for the words "for only one son" by Haryana Act 10 of 1969.

[4]Substituted for the words "and subject in either case to such deductions on account of collection, suspension, or remission of land revenue, as the Government may direct by", Haryana Act 31 of 1969.

[5]Substituted by Punjab Act 26 of 1964.

Assessment and collection of assigned land revenue.

6. Any land revenue assigned under the powers herein conferred shall be assessed and collected in the manner provided by the law for the time being in force for the assessment and collection of land-revenue as if it had not been assigned.

Exemption of war jagirs from attachment.

7. No war jagir shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any Court at the instance of a creditor for any demand against the grantee, or in satisfaction of a decree or order of any Court.

Savings.

8. Nothing in this Act shall be deemed to affect the provisions of the Pensions Act, 1871 (Act 23 of 1871), or of the [1][Government] Grants Act, 1895 (Act 15 of 1895), so far as they are applicable to war jagirs.

Certain question to be referred to Government for final decision.

9. If any question arises under this Act—

(a) whether or not a person is an eligible person, or

(b) whether or not a grantee has committed breach of any condition imposed under section 5,

such question shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final and conclusive and shall not be liable to be called in question in any Court.

[1]Substituted for the word "Crown" by Adaptation of Laws Order, 1950.

भाग I

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 5 जुलाई, 2004

[1]पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948

(1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 22)

[दि ईस्ट पंजाब वॉ: ॲवॉ:डज़ ऐक्ट, 1948, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की 28 जून, 2004, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—]

1	2	3	4
वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	निरसित अथवा विधान द्वारा अन्यथा प्रभावित
1948	22	पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948	विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा भागतः संशोधित। विधि-अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951, द्वारा भागतः संशोधित। 1952, के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा भागतः संशोधित[2] । 1954 के पंजाब अधिनियम 38 द्वारा संशोधित[3] 1957 के पंजाब अधिनियम 23 द्वारा ऐसे क्षेत्रों तक विस्तार किया गया जो प्रथम् नवम्बर, 1956, से पहले पटियाला राज्य संघ में शामिल थे[4] 1959, के पंजाब अधिनियम 17 द्वारा संशोधित[5]

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पूर्वी पंजाब राजपत्र (असाधारण) दिनांक 15 मार्च, 1948, पृष्ठ 227; विधानसभा में कार्यवाहियों के लिए देखिए पूर्वी पंजाब, विधानसभा वाद-विवाद, जिल्द II, 1948, पृष्ठ 843-871.
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पूर्वी पंजाब राजपत्र (असाधारण) दिनांक 16 अक्तूबर, 1952, पृष्ठ 1154(ख); परिषद् में कार्यवाहियों के लिए देखिए पंजाब विधानपरिषद् वाद-विवाद, 1952, जिल्द III, पृष्ठ (2)23-(2)29. यह अधिनियम, अप्रैल, 1948, के दसवें दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) 1954, पृष्ठ 838.
4. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) 1957, पृष्ठ 689.
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) 1959, पृष्ठ 284.

1	2	3	4
1948	22	पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948	1960 के पंजाब अधिनियम 36 द्वारा संशोधित[1] 1964 के पंजाब अधिनियम 26 द्वारा संशोधित[2] 1965 के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा संशोधित[3] हरियाणा विधि-अनुकूलन (राज्य तथा समवर्ती विषय) आदेश, 1968 द्वारा संशोधित[4]। 1969, के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा संशोधित[5] 1969, के हरियाणा अधिनियम 31 द्वारा संशोधित[6] 1970, के हरियाणा अधिनियम 23 द्वारा संशोधित[7] 1973, के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा संशोधित[8] 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा संशोधित[9] 1979, के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा संशोधित[10] 1993, के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा संशोधित[11] 2002, के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा संशोधित[12]

1. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) 1960, पृष्ठ 1960.
2. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण) 1964, पृष्ठ 890.
3. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए पंजाब सरकार राजपत्र (असाधारण), 1965, पृष्ठ 1116.
4. देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 अक्तूबर, 1968, पृष्ठ 531-567.
5. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण), 1969, पृष्ठ 120.
6. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण), 1969, पृष्ठ 490.
7. उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के लिए देखिए हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण), 1970, पृष्ठ 596.
8. विधि-अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित ।
9. विधि-अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "तथा ऐसे राज्य क्षेत्रों में जो, प्रथम् नवम्बर, 1956, से तुरन्त पूर्व पटियाला राज्य तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ में शामिल थे, उसे लागू करने के लिए, तथा यह 28 अगस्त, 1948, को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

ऐसे माता-पिता को, जिनके तीन या अनधिक बच्चे हाल ही के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महामान्य की सेवा में सेवा के लिए भर्ती किए गए थे या पदग्राही नियुक्त किए गए थे, जागीरें पुरस्कृत करने के लिए [हरियाणा][2] सरकार को सशक्त करने हेतु अधिनियम

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, कहा जा सकता है।

(2) यह मूल राज्यक्षेत्रों में तुरन्त तथा 28 अगस्त, 1949, को अन्तरित राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

[1][(क) "पात्र व्यक्ति" से अभिप्राय है—

(i) भारत का एक नागरिक जो सामान्यतः [2][हरियाणा] राज्य में रहता है, जो तीन या अधिक ऐसे व्यक्तियों का पिता है, या जहां पिता की मृत्यु हो गई है, माता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान संघ के सशस्त्र बलों में सेवा कर रहे हैं या जिन्होंने की है, किन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने सरकार से पहले ही भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त कर लिया है ; या

[3](iक) भारत का एक नागरिक जो सामान्यतः [2][हरियाणा] राज्य में रहता है, जो ऐसे [6][इकलौते पुत्र या इकलौती अविवाहित पुत्री या दोनों] या [7][केवल दो पुत्रों या केवल दो अविवाहित पुत्रियों] का पिता है, या जहां पिता की मृत्यु हो गई है, माता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन [5][26 अक्तूबर, 1962 अथवा 3 दिसम्बर, 1971] को भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान संघ के सशस्त्र बलों में सेवा कर रहा है/रहे हैं या जिसने [4][जिन्होंने सेवा की है,] किन्तु उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिन्होंने सरकार से पहले ही भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त कर लिया है ; या]

---

1. खण्ड (क) के स्थान पर, प्रतिस्थापित, जो पहले, 1960, के पंजाब अधिनियम 36 द्वारा, 1964, के पंजाब अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी।
2. हरियाणा विधि-अनुकूलन् आदेश, 1968, द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
3. उप-खण्ड (iक), 1965, के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा अन्तः स्थापित।
4. 1969, के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा "जिन्होंने सेवा की है", शब्दों के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
5. 1973, के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) कोई व्यक्ति जो अब भारत का नागरिक है तथा जो

(क) अगस्त, 1947, के पन्द्रहवें दिन से तुरन्त पूर्व सामान्यतः अविभाजित पंजाब में रहा है ; या

(ख) अगस्त, 1948, के बीसवें दिन से तुरन्त पूर्व सामान्यतः ऐसे राज्य क्षेत्रों में रहा है जिनसे पटियाला राज्य तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ बना,

तथा जो ऐसे तीन व्यक्तियों का पिता है, या जहां पिता की मृत्यु हो गई है, माता है, जो तब महामान्य की नौसेना, सेना या वायुसेना के रूप में अथवा पूर्वोक्त राज्यक्षेत्रों को मिलाकर बनाने वाले किसी भारतीय राज्य में भर्ती किए गए थे या पदग्राही नियुक्त किए गए थे तथा जो जहां कहीं भी अपेक्षित हों सेवा करने के लिए दायी थे और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान उक्त बलों में से किसी में वास्तव में सेवा की है, किन्तु उसमें कोई व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने, ऐसे कारण के लिए अविभाजित पंजाब सरकार या यथापूर्वोक्त के बने राज्य क्षेत्रों या ऐसे राज्यक्षेत्रों से मिलकर बने किसी भारतीय राज्य की सरकार अथवा [1][हरियाणा] सरकार से भूमि-अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त किया है ;

(ख) "सरकार" से अभिप्राय है [1][हरियाणा] [2][राज्य] की सरकार;

(ग) "युद्ध जागीर" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त जागीर ;

(घ) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित न किए गए पदों के वही अर्थ होंगे जो पंजाब जागीर अधिनियम, 1941, में है।

युद्ध जागीरों का सृजन।

3. [3][1] तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार के पास शक्ति होगी कि वह प्रत्येक पात्र व्यक्ति को, उसके अधीन विनिर्दिष्ट मूल्य की कोई युद्ध जागीर अनुदान करे, अर्थात् :—

(क) इस प्रकार सेवारत या सेवा में भर्ती या पदग्राही नियुक्त किए गए अनुदानग्राही के तीन बच्चों के लिए, [4][पांच हजार रुपए] वार्षिक ; तथा

(ख) प्रत्येक अतिरिक्त बच्चे के लिए,—

(i) धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में निर्दिष्ट पात्र व्यक्ति के इस प्रकार सेवारत या सेवा किए गए बच्चे के लिए, [5][पचास] रुपए वार्षिक का एक अतिरिक्त अनुदान ; तथा

(ii) धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में निर्दिष्ट पात्र व्यक्ति के सेवा में भर्ती किए गए या पदग्राही नियुक्त किए गए बच्चे के लिए, दस रुपए वार्षिक का एक अतिरिक्त अनुदान :

---

1. हरियाणा विधि-अनुकूलन आदेश, 1968, द्वारा "पंजाब" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित ।
2. हरियाणा विधि-अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "प्रान्तीय" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित ।
3. 1964, के पंजाब अधिनियम 26 द्वारा पुरानी धारा 3 के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
4. 1970, के हरियाणा अधिनियम 23 द्वारा "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, प्रतिस्थापित, तथा 1979 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित, तथा 1993 के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित तथा 2002 के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
5. उक्त द्वारा "चालीस" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) के अधीन किसी युद्ध जागीर के अनुदान के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे व्यक्ति के किसी भी बच्चे को लेखे में नहीं लिया जाएगा जिसने पहले से ही उसे उस खण्ड के उप-खण्ड (ii) के अधीन युद्ध जागीर के अनुदान के लिए पात्र बना दिया है।]

[1][1अ] उप-धारा (1) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार को यह शक्ति होगी कि वह इस प्रकार सेवारत या सेवा किए गए अनुदान ग्राही के [6][इकलौते पुत्र या इकलौती अविवाहित पुत्री या दोनों या केवल दो पुत्रों अथवा केवल दो अविवाहित पुत्रियों] [3][के लिए] धारा 2 के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iक) में निर्दिष्ट प्रत्येक पात्र व्यक्ति के लिए [2][पांच हजार रुपए] वार्षिक की एक युद्ध जागीर अनुदत्त करे। "।

[7][2] X X X [4][X X X]

[5][4. युद्ध जागीर, जब तक कि धारा 5 के अधीन अधिरोपित किसी शर्त के उल्लंघन के लिए पूर्णतया या भागतः समाप्त नहीं कर दी जाती, अनुदानग्राही के जीवन-पर्यन्त मान्य होगा, किन्तु उसे समाप्त या कम करने की सरकार को शक्ति होगी यदि अनुदानग्राही तत्पश्चात् उसी आधार पर कोई भूमि अनुदान या अन्य पुरस्कार प्राप्त करता है जिस पर उसे युद्ध जागीर अनुदत्त की गई थी : युद्ध जागीरों की अवधि।

परन्तु पिता होने के नाते, किसी पात्र व्यक्ति को अनुदत्त की गई युद्ध जागीर, पिता की मृत्यु पर, माता के जीवन-पर्यन्त मान्य होगी।]

5. सरकार, किसी या सभी युद्ध जागीरों के उपभोग पर ऐसी शर्तें लगा सकती है जिन्हें वह उचित समझे, तथा ऐसी शर्तें अनुदानग्राही को अनुदत्त करते समय उसे संसूचित की जाएंगी। युद्ध जागीर के उपभोग पर शर्तें लगाने की शक्ति।

[8][6. X X X X] समनुदेशित भू-राजस्व का निर्धारण तथा संग्रहण।

7. कोई भी युद्ध जागीर, अनुदानग्राही के विरुद्ध किसी मांग के लिए किसी लेनदार की प्रेरणा पर किसी न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा या किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश की तुष्टि में अभिग्रहण कुर्की या परिबद्धकरण के लिए दायी नहीं होगी। युद्ध जागीरों को कुर्की से छूट।

---

1. उप-धारा (1क), 1965, के पंजाब अधिनियम 22 द्वारा जोड़ी गई।
2. 1970, के हरियाणा अधिनियम 23 द्वारा "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा, 1979 के हरियाणा अधिनियम 16 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित तथा, 1993 के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा प्रतिस्थापित और, 2002, के हरियाणा अधिनियम 7 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
3. 1969, के हरियाणा अधिनियम 10 द्वारा "केवल एक पुत्र के लिए", शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1969, के हरियाणा अधिनियम 31 द्वारा "–के द्वारा जैसा सरकार निर्दिष्ट करे प्रत्येक मामले में भू-राजस्व के संग्रहण, निलम्बन या छूट के मद्दे ऐसी कटौतियो के अधीन रहते हुए" शब्दों के स्थान पर, प्रतिस्थापित।
5. 1964, के पंजाब अधिनियम 26 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा लुप्त।
8. 1974, के हरियाणा अधिनियम 3 द्वारा लोप किया गया।

व्यावृत्ति।

8. इस अधिनियम की कोई भी बात, पेन्शन अधिनियम, 1871 (1871 का अधिनियम 23), या [1][सरकार] अनुदान अधिनियम, 1895 (1895 का अधिनियम 15), जहां तक वे युद्ध जागीरों को लागू होते हैं, को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

अन्तिम विनिश्चय के लिए कतिपय प्रश्नों का सरकार को निर्दिष्ट किया जाना।

9. यदि इस अधिनियम के अधीन कोई प्रश्न उठता है—

(क) क्या कोई व्यक्ति पात्र व्यक्ति है अथवा नहीं ; अथवा

(ख) क्या किसी अनुदानग्राही ने धारा 5 के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का उल्लंघन किया है या नहीं ;

ऐसा प्रश्न सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अन्तिम तथा निर्णायक होगा तथा किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950, द्वारा "क्राउन" शब्द के स्थान पर, प्रतिस्थापित।

आर० एस० मदान,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधायी विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 6th April, 2010

No. Leg. 6/2010.—The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 1st April, 2010, and is hereby published for general information:—

Haryana Act No. 6 of 2010

THE EAST PUNJAB WAR AWARDS (HARYANA AMENDMENT) ACT, 2010

AN

ACT

further to amend the East Punjab War Awards Act, 1948, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Act, 2010.

Amendment of section 3 of Punjab Act 22 of 1948.

2. In section 3 of the East Punjab War Awards Act, 1948,—

(a) in clause (a) of sub-section (1), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (1A), for the words "five thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

R. C. BANSAL,
Secretary to Government, Haryana,
Law and Legislative Department.

47093—L.R.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 जून, 2010

संख्या लैज़ 6/2010.— दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज़ (हरियाणा अमैन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2010, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 जून, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (ख) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2010 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2010

पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक अधिनियम, 1948,
हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित
करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम। 1. यह अधिनियम पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2010, कहा जा सकता है।

1948 के पंजाब अधिनियम 22 की धारा 3 का संशोधन। 2. पूर्वी पंजाब युद्ध पारितोषिक अधिनियम, 1948 की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (क) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ; तथा

(ख) उपधारा (1क) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

आर० सी० बंसल,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।